संख्या- 10/2019/1476/अड़तीस-7-2019-407नरेगा/2010टीसी

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण हेतु पौधों की प्रजाति के चयन के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण हेतु विभागों के मध्य जनपदवार लक्ष्य निर्धारण करने विषयक शासनादेश संख्या-11/2018/1359/14-5-2018-187/2017 दिनांक 06.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त शासनादेश के माध्यम से जनपदवार/विभागवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम्य विकास एवं अन्य विभाग हेतु 22.55 करोड़ एवं एक ही दिन 15, अगस्त 2019 को 11.27 करोड़ पौधारोपण किये जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निर्गत शासनादेश में भौगोलिक स्थिति के अनुसार पौधों की प्रजाति का उल्लेख किया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों की प्रजाति का चयन भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया जाये तथा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार वृक्षारोपण की कार्यवाही एक सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर की जाये, जिससे रोपित किये गये पौधांे की जीवितता बनी रहे तथा वृक्षों के तैयार होने पर वह ग्रामीण क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन एवं कृषकों कीआय वृद्धि करने में सहयोगी सावित हो सके।
उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
पौधांे की प्रजातियों का चयन जनपद की भौगोलिक कृषि जलवायु क्षेत्र के दृष्टिगत किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जय कि केवल देशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाए। यथासंभव पंचवटी-यथा-पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, फलदार वृक्ष यथा आम, जामुन, महुआ तथा सहजन के पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाय।

विभिन्न प्रजातियों के पौधों के मध्य दूरी (स्पेसिंग)

क्र0सं0	वृक्षारोपण के प्रकार	वृक्ष प्रजाति	पौधों के बीच दूरी
1	ब्लाक वृक्षारोपण	हर्र, बहेड़ा, महुआ, चिरौंजी, सेमल, बरगद, पीपल, पाकड़, इमली, कुसुम, फिलर पौधे, जो छोटे पत्र के हो	10 मी. × 10 मी. 2 मी. × 2 मी.
2	पटरी वृक्षारोपण	आम, महुआ, इमली बरगद, पीपल, गूलर तथा पाकड़, जामुन, नीम, शीशम, कंजी, अर्जुन जकरैन्डा गोल्डमोहर, अमलताश तथा कचनार	10 मी. 6 मी.
3	शहरी वृक्षारोपण सड़क के किनारे एक पंक्ति वृक्षारोपण	देशी अशोक, छितवन, शीशम, कदम, नीम, पाकड़, मोलश्री, पुत्रंजीवा, जामुन गुलमोहर, अमलतास, जेकरेन्डा।	6 मी.
4	सड़क के किनारे दो पंक्ति वृक्षारोपण प्रथम पंक्ति	देशी अशोक, छितवन, शीशम, कदम, नीम, पाकड़, मोलश्री, पुत्रंजीवा, जामुन गुलमोहर, अमलतास, जेकरेन्डा। द्वितीय पंक्ति- शीशम, नीम, कंजी, कचनार, जरूल	6 मी. 3 मी.
5	सड़क के किनारे	प्रथम पंक्ति- देशी अशोक, छितवन, शीशम, कदम,	6 मी.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	तीन/बहु पंक्ति वृक्षारोपण	नीम, पाकड़, मोलश्री, पुत्रंजीवा, जामुन, गुलमोहर, अमलतास, जेकरेन्डा। द्वितीय पंक्ति- शीशम, नीम, कंजी, कचनार, जरूल	3 मी.
6	मुख्य मार्गों के विभाजकों पर वृक्षारोपण	जरूल, कचनार, टेकोमा, गुलाचीन, हरसिंगार, बोटलब्रश	एक पंक्ति में वृक्षारोपण होने पर 6 मी. विभाजक की चैड़ाई 5 मी. से अधिक होने पर 3 मी. × 3 मी.
7	झीलों एवं तालाबों के किनारे वृक्षारोपण	बरगद, पीपल, शीशम, जामुन	उपलब्ध भूमि पर बहुपंक्ति वृक्षारोपण 6 मी. × 6 मी.
8	रेलवे लाइन के किनारे वृक्षारोपण	नीम, आम, अमरूद, सावनी, चांदनी, गुडहल, गुलमोहर, अमलतास	उपलब्ध पट्टी के आधार पर एक से बहुपंक्ति वृक्षारोपण रेल लाइन से 6 मी. की दूरी पर 3 मी.×3 मी.
9	नहरों एवं तालाबों के किनारे वृक्षारोपण	शीशम, अर्जुन, नीम अमलतास, सिरस कंजी	3 मी.0 × 3 मी0
10	ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण	बरगद, शीशम, अर्जुन, नीम, अमलतास, गुलमोहर, सिरस, कंजी, आम, चितवन	बरगद व आम 12 मी.× 12 मी0 शेष पौधे 3 मी0 × 3 मी0
11	पार्को में वृक्षारोपण	आम, नीम, बोटल पाम, देशी अशोक, बोगेनबिलिया	6 मी.0 ×6 मी0 3 मी0 × 3 मी0
12	शैक्षिक संस्थाओं आवासीय भवनों एवं कार्यालयों भवनों के परिसर में वृक्षारोपण	आम, महुआ, जामुन, देशी अशोक, चतवन, मौलश्री, नीली गुलमोहर, बोटल, पाम कचनार	6 मी.× 6 मी.
13	मंदिर परिसर	पीपल, कदम, गुलमोहर, हरसिंगार, गुड़हल, चमेली	6 मी0
14	मस्जिद परिसर	अमलतास, गुलमोहर, कचनार, हरसिंगार, चमेली, चांदनी, रात की रानी	6 मी0
15	गुरूद्वारा परिसर	अमलतास, गुलमोहर, बोगेनबिलिया, नीली गुलमोहर	6 मी0
16	चर्च परिसर	क्रिसमस ट्री, अरोकेरिया, गुलमोहर, बोगेनबिलिया, नीली गुलमोहर	6 मी0
17	शवदाह स्थलों में वृक्षारोपण	गुलमोहर, अमलतास, कचनार, पीपल, अर्जुन, कंजी, नीम	12 मी0 × 12 मी0

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाते हुये अग्रिम मृदा कार्य तत्काल प्रारम्भ करते हुए स्थानीय आवश्यकतानुसार जनोपयोगी ग्रामीण परिवारों की आजीविका संसाधनों में वृद्धि करने वाले प्रजातियों के ही पौधे रोपित किये जाये तथा इन पौधों की आपूर्ति हेतु प्रजातिवार नर्सरी का चिन्हांकन करने के साथ ही योजनान्तर्गत रोपित किये गये पौधों की देख-रेख हेतु पूरे वर्ष मनरेगा योजनान्तर्गत मानव स्त्रोत लगाये जाये जिसके अंतर्गत जॉब कार्डधारक परिवार को स्थानीय आवश्यकतानुसार लगाया जा सकता है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत की निराश्रित विधवा, महिला मुखिया परिवार/विकलांग (जो इस कार्य के लिए सक्षम हो) को वरीयता दी जायेगी। अतः कृपया वृक्षारोपण हेतु बनायी गयी कार्ययोजना अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 10/2019/1476(1)/38-7-2019 तद्‌दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

2- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।

4- समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

5- गार्डबुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।